संख्या-15/2015/1273/33-3-2015-31/2005टीसी

प्रेषक,

आर0पी0 सिंह
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पंचायती राज,
उ0प्र0, लखनऊ।

पंचायती राज अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 15 मई, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-14 आयोजनागत मद में जनपद अम्बेडकरनगर में लोहिया भवन निर्माण हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 688.00 लाख अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-5/982/2014-5/111/2015, दिनांक 07 मई, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में जनपद अम्बेडकरनगर में लोहिया भवन के निर्माण हेतु आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि रू0 688.00 लाख के सापेक्ष शत प्रतिशत रू0 688.00 लाख(रू0 छः करोड अठासी लाख मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति निम्न शर्तो के अधीन प्रदान करते है:-

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना /कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि का आहरण वर्ष 2015-16 में कार्य पर वास्तविक रूप से व्यय /उपभोग की आवश्यकता के अनुसार ही किया जायेगा तथा व्यय के सम्बन्ध में वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में जारी किये गये अन्य समस्त आदेशों में उल्लिखित निर्देशों का कडाई से अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) उपरोक्त के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) उक्त मदों में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-14(आयोजनागत) लेखाशीर्षक -4515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय- 101- पंचायती राज-07-जनपद अम्बेडकरनगर लोहिया भवन का निर्माण -24 वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेग।

(5) शासकीय व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सीए-934/दस'2008-मित-1/2007, दिनांक 02-09-2008 का विशेष रूप से पालन किया जायेगा।

(6) निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के व्यय की सूचना प्रतिमाह रूपपत्र

http://shasanadesh.up.nic.in

बी0एम0-13 पर लेखाशीर्षक /मदवार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक अवश्य उपलब्ध कराया जायेगा। आवंटित धनराशि बजट मैनुअल से संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेशों द्वारा विनियमित होगी।

(7) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात अगली दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

(8) जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल एवं वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या- वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015 दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्रतिनिधिनित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या तथा दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर।
3- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, पंचायती राज निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, अम्बेडकरनगर।
5- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 उ0प्र0 लखनऊ।
6- परियोजना प्रबंधक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 इंजीनियरिंग कालेज इकाई, सद्दरपुर,राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर।
7- वित्त (व्यय- नियंत्रण) अनुभाग-2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर0पी0सिंह)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in